

प्रेषक,

विवेक रंजन मैत्रेय, भा0प्र0से0,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला खेल पदाधिकारी,
बिहार। (प0 चंपारण (बेतिया), सिवान, खगड़िया, सारण (छपरा), शेखपुरा,
एवं किशनगंज को छोड़कर)

पटना, दिनांक-18/09/2026

विषय :-

खेल विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित
पदाधिकारियों/कर्मियों का लंबित पेंशन एवं सेवांत लाभ से संबंधित
प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :-

वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-44, दिनांक-15.01.2026 एवं वित्त
विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-940, दिनांक-11.09.2026 तथा खेल
निदेशालय के पत्रांक-148, दिनांक-21.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये कहना है कि
वित्त विभाग के स्तर पर सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने
वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के पेंशन एवं सेवांत लाभ की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित
मामलों की समीक्षा प्रति माह वित्त विभाग, बिहार द्वारा की जाती है। साथ ही लोकायुक्त
कार्यालय, बिहार द्वारा लंबित सेवांत मामलों के मामलों का अनुश्रवण करते हुये कारण
पृच्छा की जाती है।

उक्त के आलोक में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके कार्यालयों के अधीन
सेवांत लाभों से संबंधित यदि कोई मामला लंबित हो तो उसका यथाशीघ्र निष्पादन करते
हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु तथा यदि अगर कोई मामला लंबित ना हो तो शून्य
प्रतिवेदन से संसूचित किये जाने हेतु निदेशित किया गया था। जो अन्य कार्यालयों से अभी
तक अप्राप्त है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पेंशन
एवं सेवांत लाभों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के
अंदर खेल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(विवेक रंजन मैत्रेय)
निदेशक

ज्ञापांक :- 01/स्था0 01-21/2026/...168

पटना, दिनांक-18/09/2026

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

25/09/26



सेवान्त लाभ बैठक
30.09.2026 को
निर्धारित ।

विनय कुमार,
संयुक्त आयुक्त ।

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 11-9-2026

निदेशक

विषय:-

पेंशन एवं सेवान्त लाभ/नई पेंशन योजना "NPS" से संबंधित लम्बित मामलों के समीक्षा हेतु सभी विभाग के नोडल पदाधिकारियों की दिनांक-30.09.2026 को आयोजित बैठक के संबंध में ।

प्रसंग :-

वित्त विभागीय पत्रांक-44(पै०), दिनांक 15.01.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माह-सितम्बर, 2026 में पेंशन एवं सेवान्त लाभ के लम्बित मामलों से संबंधित विषयों पर सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक दिनांक-30.09.2026 को आहूत की गयी है । यह बैठक पुरानी सचिवालय के सभा कक्षा में समय 11:00 बजे(पूर्वाह्न) से 12:00 बजे(अपराह्न) तक आयोजित है ।

2. वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्रों (I to V) में भरकर मासिक प्रतिवेदन बैठक के एक सप्ताह पूर्व (एक प्रति में) भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

3. विहित प्रपत्र (I to V) वित्त विभागीय पत्रांक-499, दिनांक-03.09.2020 द्वारा सभी विभागों को उपलब्ध करा दिया गया है । प्रपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि एक वर्ष पूर्व एवं पांच वर्ष पूर्व के लम्बित मामले की सूची उपलब्ध कराना है । अतएव प्रपत्र में उक्त निदेश के आलोक में ही वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाय ।

4. भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालयों के स्तर पर लम्बित मामलों की सूची लेखा संख्या अंकित कर विभागीय पत्रांक/दिनांक सहित मासिक प्रतिवेदन के साथ (दो प्रति में) देना सुनिश्चित किया जाय ।

बैठक में विचारणीय विषय निम्नांकित है-

- मुख्यालय/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के पेंशन एवं सेवान्त लाभ के स्वीकृति की स्थिति ।
- विभागीय स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन ।
- तीन माह से अधिक समय से लम्बित पेंशन एवं सेवान्त लाभ के मामलों में विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर कृत कार्रवाई की सूचना ।
- जिला भविष्य निधि कार्यालयों/भविष्य निधि निदेशालय में सेवा निवृत्त/मृत कर्मियों के लम्बित अंतिम निकासी के मामले

.....2

5. विगत कुछ बैठकों में समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि कुछ विभागों से नोडल पदाधिकारी नहीं बल्कि ऐसे प्रतिनिधि बैठक में शामिल होते हैं, जिन्हें विषय-वस्तु की जानकारी ही नहीं होती है। ऐसी स्थिति में समुचित समीक्षा नहीं हो पाने से बैठक का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है।

6. अतः अनुरोध है कि दिनांक-30.09.2026 को आहूत बैठक में विहित प्रतिवेदन के साथ भाग लेने हेतु विभाग के नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन


10-9-26
(विनय कुमार)

संयुक्त आयुक्त।


10.9.26

पत्र संख्या-वि0(27) पे0को0(सेवान्त लाभ बैठक)-03/2026-
बिहार सरकार
वित्त विभाग

/वि0,

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव(सं0) ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना ।

पटना,दिनांक

विषय :- सभी विभागों में पेंशन एवं सेवान्त लाभ के लम्बित मामलों की समीक्षा हेतु नोडल पदाधिकारियों की बैठक गठित अनुश्रवण कोषांग के तहत आयोजित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्त विभाग के स्तर पर सभी विभागों एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन एवं सेवान्त लाभ के लम्बित मामलों की समीक्षा हेतु मासिक समीक्षा बैठक आयोजित किया जाता है ।

2. कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए पेंशन एवं सेवान्त लाभ से संबंधित मामलों की मासिक समीक्षा बैठक हेतु निम्नांकित सारणी/तालिका के अनुरूप वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है ।

माह/वर्ष		तिथि
जनवरी	2026	30.01.2026
फरवरी	2026	27.02.2026
मार्च	2026	25.03.2026
अप्रैल	2026	29.04.2026
मई	2026	27.05.2026
जून	2026	24.06.2026
जुलाई	2026	29.07.2026
अगस्त	2026	28.08.2026
सितम्बर	2026	30.09.2026
अक्टूबर	2026	30.10.2026
नवम्बर	2026	27.11.2026
दिसम्बर	2026	30.12.2026

3. उक्त बैठक में भाग लेने हेतु प्रत्येक विभाग के स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी को नामित किया जाएगा । नोडल पदाधिकारी से यह अपेक्षित होगा कि वे लम्बित मामलों की पूर्णरूपेण जानकारी रखेंगे ।

4. बैठक पुरानी सचिवालय के सभा कक्ष में निर्धारित तिथि को 11.00(पूर्वाह्न) से 12.00(अपराह्न) तक होगी ।

4. सेवान्त लाभ बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व अचूक रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा ।
5. अनुरोध है कि विभाग के नामित नोडल पदाधिकारी को प्रत्येक माह में निर्धारित तिथि को ससमय भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(जय सिंह)
सचिव(सं0) ।

ज्ञापांक- /वि0 पटना,दिनांक
प्रतिलिपि : वित्त विभाग के पत्रांक-1061(प्रति संलग्न) दिनांक 24.10.2019 के अनुरूप अध्यक्ष/सदस्य सचिव/सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-
सचिव(सं0) ।

ज्ञापांक- /वि0 पटना,दिनांक
प्रतिलिपि : संयुक्त आयुक्त(वि0प्र0), प्रभारी लेखा शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को पेंशन एवं सेवान्त लाभ से संबंधित सभी विभागों के समीक्षात्मक बैठक हेतु निर्धारित तिथियों में सचिवालय सभा कक्ष का आरक्षण कर सूचित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-
सचिव(सं0) ।

ज्ञापांक- 44(पें) /वि0 पटना,दिनांक 15-01-2026
प्रतिलिपि : श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सचिव(सं0) 14.1.26

बिहार सरकार
खेल विभाग

प्रेषक,

आरिफ अहसन, भा0प्र0से0,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला खेल पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-21/08/2026

विषय :- खेल विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों का लंबित पेंशन एवं सेवांत लाभ से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-44, दिनांक-15.01.2026
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये कहना है कि वित्त विभाग के स्तर पर सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के पेंशन एवं सेवांत लाभ की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित मामलों की समीक्षा प्रति माह की जाती है। साथ ही लोकायुक्त कार्यालय, बिहार द्वारा लंबित सेवांत मामलों के मामलों का अनुश्रवण करते हुये कारण पृच्छा की जाती है।

उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि सेवांत लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये ससमय निष्पादन किया जाय। साथ ही आपके कार्यालयों के अधीन सेवांत लाभों से संबंधित यदि कोई मामला लंबित हो तो उसका यथाशीघ्र निष्पादन करते हुये विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय और अगर कोई मामला लंबित ना हो तो शून्य प्रतिवेदन भेजी जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(आरिफ अहसन)

निदेशक

ज्ञापांक :-01/स्था0 01-21/2026 / ...148

पटना, दिनांक-21/08/2026

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक